<u>विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2025 के द्वितीय शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य विधान परिषद् द्वारा पूँछे गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 1 का उत्तर</u>

		प्रश्न	उत्तर
1	(क)	क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि वित्त विभाग के पत्र संख्या सा 3(164) दस-2024 दिनांक 30 अप्रैल, 2024 जो प्रमुख सचिव (उ0शि0) तथा अन्य को सम्बोधित है, तथा वित्त विभाग के पत्र संख्या सा-3-1469/दस-2010 दिनांक 06.08.2010 के सन्दर्भगत सरकारी कर्मचारियों को 80 वर्ष की आयु पर स्वीकृत अतिरिक्त पेंशन की गणना जन्म तिथि के माह के पहली तारीख से किये जाने के विषयक है, प्राप्त हुआ है?	जी हाँ।
	(ख)	यदि हाँ, तो क्या वित्त विभाग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अधीन सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के सेवा निवृत्त शिक्षण/शिक्षणेतर कार्मिकों के संबंध में आदेश निर्गत हेतु निर्देशित किया गया है?	जी हाँ।
	(ग)	यदि हाँ, तो क्या उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आवश्यक आदेश निर्गत कर दिया है या अभी तक वित्तीय उपाशय प्राप्त करने के लिए प्रकरण को विलम्बित कर रहे हैं?	इस संबंध में वितीय उपाशय का सही-सही आकलन किया जाना है, जो प्रदेश के कोषागारों से 80 वर्ष से अधिक आयु के उच्च शिक्षा विभाग के पेंशनरों का पूर्ण विवरण प्राप्त होने की कार्यवाही प्रक्रियागत है।
	(घ)	यदि हाँ, तो क्यों और कब तक आदेश निर्गत करा दिये जायेंगे?	उपरोक्तवत्।
	(ड़)	अभी तक उक्त आदेश निर्गत न होने का प्रमुख कारण क्या है, और कौन-कौन से अधिकारी इसके लिए दोषी है तथा क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे?	प्रश्न नहीं उठता।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री।